न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 84/2017

प्रदीप कुमार जैन पुत्र सौभागमल जैन निवासी पंच महा मन्दिर के पास पी.ओ.टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 10.01.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

फेसला बइजजास श्री बख्तावर सिंह तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र भूरा,रामनारायण पि.लादू माली निवासी ओझापुरा दिनांक 07.08.1981 की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को पत्र क्रमांक 1993 दिनांक 06.12.2017,2067 दिनांक 18.12.2017 व 2104 दिनांक 27.12.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह ने पत्र क्रमांक 4175 दिनांक 22.12.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 3747 दिनांक 17.11.2017 से सूचना के संबंध मे अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक